तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	[illegible] उपस्थित [illegible] आदेश दिनांक 25/11/14 की पालना में पत्रावली वास्ते [illegible] को पेश हो। दिनांक 13/3/18 उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
13-3-18	[illegible] उपस्थित संबंध आदेश दिनांक 25/11/14 की पालना में पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 2/4/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
3/4/18	[illegible] उपस्थित शामिल आदेश दिनांक 25/11/14 की पालना में पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 11/6/18 को पेश हो। [illegible] [illegible] दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
21.6.18	पत्रावली [illegible] पक्षकारान् उपस्थित। रहे[illegible] नहीं होने के कारण प्रकरण [illegible] नहीं हो सकता। अतः पत्रावली दिनांक 22.6.18 को न्यायालय हाजा में पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
22 6/18	पत्रावली [illegible] हुई। पक्षकारान् [illegible] वकील मुलाहिजा है नहीं होने के कारण प्रकरण [illegible] सकता। अतः पत्रावली दिनांक 26/6/18 [illegible] में पेश हो।
26.6.18	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय. मुताबिक रिपोर्ट [illegible] हो गया है वकील को सुना गया। मुताबिक मुताबिक रिपोर्ट दावा वादी [illegible] डिक्री किया जाता है। [illegible] के खिलाफ [illegible] किया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद मुकम्मल होकर शामिल रिकार्ड हो सुनाया। SDO

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/249/13

बउनवान

1. किशनसिंह उर्फ कृष्णलाल उर्फ कृष्णपाल पुत्र कर्णसिंह जाति राजपुर तहसील कठूमर जिला अलवर

वादी

बनाम

1. गोपालसिंह पुत्र कर्णसिंह जाति राजपूत निवासी बसेठ
2. दिलीपसिंह पुत्र कर्णसिंह जाति राजपूत निवासी बसेठ
3. देशराजसिंह पुत्र कर्णसिंह जाति राजपूत निबासी बसेठ
4. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

एंव

राजस्व वाद संख्या 1/21/14

1. गोपालसिंह पुत्र श्रीकरनसिंह जाति राजपूत निवासी बसेठ
2. दिलीपसिंह पुत्र करनसिंह जाति राजपूत निवासी बसेठ
3. देशराजसिंह पुत्र करनसिंह जाति राजपूत निवासी बसेठ

वादीगण

बनाम

1. किशनसिंह उर्फ कृष्णलाल पुत्र करनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बसेठ तहसील कठूमर
2. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

ड अधिकारी
मर(अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण

उपस्थित :

श्री देवेन्द्रसिंह नरूका– अधिवक्ता किशनसिंह

श्री सुभाषचन्द शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादी गोपालसिंह वगेरा

श्री भवानीशंकर शर्मा– अधिवक्ता प्रतिवादी गोपालसिंह वगेरा

निर्णय दिनांक 26.06.2018

वादी किशनसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 121, 269, 302, 303, 304, 326, 616, 618, 306, 321, 323, ग्राम बसेठ तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 3/4 हिस्सा की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादी विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। अतः वादी ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने व दावा वादी मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण गोपालसिंह वगेरा द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 121, 269, 302, 303, 304, 326, 616, 618, 306, 321, 323, ग्राम बसेठ तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी में वादीगण का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादीगण विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। अतः वादीगण ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने व दावा वादीगण मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन ने निवेदन किया कि दोनों वाद पत्र तकसीम के व दोनों वाद पत्रों में समान पक्षकार व समान आराजी है। इस वजह से वाद संख्या 1/21/14 वउनवान गोपालसिंह वगैरा बनाम किशनसिंह वगैरा को वाद संख्या 1/249/13 वउनवान किशनसिंह बनाम गोपालसिंह वगैरा में कनसोलिडेट कर एक ही निर्णय के द्वारा निर्णीत कर दिये जावे। हमने दोनों वाद पत्रों

...ण्ड अधिकारी
...मर(अलवर)

Scanned by CamScanner

का अवलोकन किया दोनों वाद पत्र तकसीम के हैं तथा समान आराजी व समान पक्षकार है। अतः उभय पक्षकारान की सहमति से वाद पत्र संख्या वाद संख्या 1/21/14 वउनवान गोपालसिंह वगैरा बनाम किशनसिंह वगैरा को वाद संख्या 1/249/13 वउनवान किशनसिंह बनाम गोपालसिंह वगैरा में कनसोलिडेट किया गया।

वादी ने अपने दावा के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 वाके ग्राम बसेठ की सत्यप्रतिलिपी पेश की है।

पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर व विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की वहस पर मनन करने पर दावा वादी दिनांक 18.06.2018 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार कठूमर से विवादित आराजी की कुरेजात रिपोर्ट तलव की गयी। तहसीलदार कठूमर ने अपनी कुरेजात रिपोर्ट हाजिर अदालत होकर पेश की है जो शामिल पत्रावली है। कुरेजात रिपोर्ट पर वादी ने एतराज किया। एतराज कुरेजात रिपोर्ट पर वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है कि कुरेजात रिपोर्ट में खसरा नम्बर 616 रकवा 0.44 हे. व 618 रकवा 0.86 हे. प्रतिवादी गोपालसिंह वगैरा को दिया गया है जवकि खसरा नम्बर 616 रकवा 0.59 हे. व 618 रकवा 1.14 हे. सालिम पर वादीगण का कब्जा काश्त है जो वादीगण को दिया जावे। खसरा नम्बर 121 कुरेजात रिपोर्ट में नहीं दर्शाया है। नक्शे में 5 विस्वा वादी का दिया जाना प्रस्तावित किया है। एक चक के अनुसार प्रतिवादी को दे दिया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार कठूमर द्वारा कुरेजात रिपोर्ट विधि के अनुसार तैयार की हैं यदि तहसीलदार की कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी डिक्री कर दिया जावे तो आपत्ति नहीं है। वहस कुरेजात पर मनन किया। तहसीलदार कठूमर की कुरेजात रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रस्तुत कुरेजात में खसरा नम्बर 121 में से 0.27 हे. में से वादी को रकवा 0.07 हे. रकवा दिया गया है। वादी को खसरा नम्बर 616 रकवा 0.59 हे. में से 0.15 हे. दिया है जो संशोधित करते हुये वादी को खसरा नम्बर 616 रकवा 0.59 हे. में से 0.22 हे. व प्रतिवादी गोपालसिंह वगैरा को खसरा नम्बर 121 रकवा 0.27 हे. सालिम दिया जाकर वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर(अलवर)

आदेश

Scanned by CamScanner

अतः दावा वादी तकसीम मुताविक रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 302 तर्फ दक्षिण रकवा 0.24 हे. 304 तर्फ उत्तर रकवा 0.20 हे. 323 तर्फ दक्षिण रकवा 0.68 हे. 121 तर्फ दक्षिण रकवा 0.07 हे.' 303 तर्फ उत्तर रकवा 0.13 हे. 306 तर्फ दक्षिण रकवा 1.64 हे. 326 तर्फ दक्षिण रकवा 1.09 हे. 618 तर्फ उत्तर रकवा 0.28 हे. 616 तर्फ पूर्व रकवा 0.22 हे. 269 तर्फ पूर्व रकवा 0.10 हे. 321 तर्फ उत्तर रकवा 0.27 हे. किता 11 रकवा 4.92 हे. वादी किशनसिंह उर्फ कृष्णलाल पुत्र कर्णसिंह को व खसरा नम्बर 121 रकवा 0.27 हे. पूर्ण 303 तर्फ दक्षिण रकवा 0.40 हे. 306 तर्फ उत्तर रकवा 4.91 हे. 326 तर्फ उत्तर रकवा 3.30 हे0 618 तर्फ दक्षिण रकवा 0.86 हे. 616 तर्फ पश्चिम रकवा 0.44 हे. 269 तर्फ पश्चिम रकवा 0.29 हे. 321 तर्फ दक्षिण रकवा 0.81 हे. किता 8 रकवा 11.28 हे. प्रतिवादी गोपासिंह, दिलीपसिंह, देशराजसिंह पि0 कर्णसिंह राजपूत को व खसरा नम्बर 302 तर्फ उत्तर रकवा 0.72 हे. 304 तर्फ दक्षिण रकवा 0.57 हे. 323 तर्फ उत्तर रकवा 2.03 हे. किता 3 रकवा 3.32 हे. वाके ग्राम बसेठ तहसील कठूमर दयाराम, भीमसिंह पि0 पदमसिह गुर्जर निवासी गुण्डवास को तकसीम में दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रकार्ड में संशोधित इन्द्राज व राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करें। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें। निर्णय एंव डिक्री की एक प्रति राजस्व वाद संख्या 1/21/14 में संलग्न की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
(प्रवेशक सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 26.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.6.18
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
(प्रवेशक सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/249/13

बउनवान

1. किशनसिंह उर्फ कृष्णलाल उर्फ कृष्णपाल पुत्र कर्णसिंह जाति राजपुत तहसील कठूमर जिला अलवर

डिकीदार

बनाम

1. गोपालसिंह पुत्र कर्णसिंह जाति राजपूत निवासी बसेठ
2. दिलीपसिंह पुत्र कर्णसिंह जाति राजपूत निवासी बसेठ
3. देशराजसिंह पुत्र कर्णसिंह जाति राजपूत निबासी बसेठ
4. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

मदयूनान

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

एंव

राजस्व वाद संख्या 1/21/14

1. गोपालसिंह पुत्र श्रीकरनसिंह जाति राजपूत निवासी बसेठ
2. दिलीपसिंह पुत्र करनसिंह जाति राजपूत निवासी बसेठ
3. देशराजसिंह पुत्र करनसिंह जाति राजपूत निवासी बसेठ

वादीगण

खण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

बनाम

1. किशनसिंह उर्फ कृष्णलाल पुत्र करनसिंह जाति राजपूत
निवासी ग्राम बसेठ तहसील कठूमर

2. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादी तकसीम मुताविक रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 302 तर्फ दक्षिण रकवा 0.24 हे. 304 तर्फ उत्तर रकवा 0.20 हे. 323 तर्फ दक्षिण रकवा 0.68 हे. 121 तर्फ दक्षिण रकवा 0.07 हे.' 303 तर्फ उत्तर रकवा 0.13 हे. 306 तर्फ दक्षिण रकवा 1.64 हे. 326 तर्फ दक्षिण रकवा 1.09 हे. 618 तर्फ उत्तर रकवा 0.28 हे. 616 तर्फ पूर्व रकवा 0.22 हे. 269 तर्फ पूर्व रकवा 0.10 हे. 321 तर्फ उत्तर रकवा 0.27 हे. किता 11 रकवा 4.92 हे. वादी किशनसिंह उर्फ कृष्णलाल पुत्र कर्णसिंह को व खसरा नम्बर 121 रकवा 0.27 हे. पूर्ण 303 तर्फ दक्षिण रकवा 0.40 हे. 306 तर्फ उत्तर रकवा 4.91 हे. 326 तर्फ उत्तर रकवा 3.30 हे0 618 तर्फ दक्षिण रकवा 0.86 हे. 616 तर्फ पश्चिम रकवा 0.44 हे. 269 तर्फ पश्चिम रकवा 0.29 हे. 321 तर्फ दक्षिण रकवा 0.81 हे. किता 8 रकवा 11.28 हे. प्रतिवादी गोपासिंह, दिलीपसिंह, देशराजसिंह पि0 कर्णसिंह राजपूत को व खसरा नम्बर 302 तर्फ उत्तर रकवा 0.72 हे. 304 तर्फ दक्षिण रकवा 0.57 हे. 323 तर्फ उत्तर रकवा 2.03 हे. किता 3 रकवा 3.32 हे. वाके ग्राम बसेठ तहसील कठूमर दयाराम, भीमसिंह पि0 पदमसिह गुर्जर निवासी गुण्डवास को तकसीम में दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार वादी एंव प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अलग अलग खातेदारी व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे।विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें।

आज दिनांक 26.06.2018 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

26.6.18

उपखण्ड अधिकारी
(कनिष्क सैनी)
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner